[2022] 19 एस सी आर 271 ए

ए.

अमीनूद्दीन

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1669) 23 सितंबर, 2022

बी.

[दिनेश माहेश्वरी और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

जमानत-समानता पर अनुदान-जब उचित नहीं है-दंड संहिता, 1860-एस. एस.147, 148, 149, 302, 352 और 34-आयोजितःजब सह-अभियुक्त व्यक्ति को दी गई जमानत को उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और सह-अभियुक्त को इस तरह की जमानत देना ही एकमात्र कारण था जिसके लिए प्रत्यर्थी नं.2, आक्षेपित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है-उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने मामले की मुख्य विशेषता को ध्यान में रखे बिना सरसरी तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया था, जिसमें अपीलार्थी के बेटे की 8 गंभीर चोटों के साथ दिनदहाड़े हल्की हत्या, जिसमें घाव और गर्दन और छाती के आसपास छुरा घोंपने के घाव शामिल हैं-आक्षेपित आदेश समान रूप से इस कमी से ग्रस्त है कि मामले की प्रासंगिक विशेषताओं पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है-प्रत्यर्थी नं।2 एफ. आई. आर. में विशेष रूप से हमलावरों में से एक के रूप में नामित किया गया है और आरोपों की प्रकृति और चोटों की प्रकृति को देखते हुए, अभियोजन पक्ष के मामले को प्रथम दृष्टया काल्पनिक या असंभव नहीं कहा जा सकता है-विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया है-प्रत्यर्थी संख्या।2 आत्मसमर्पण करना-यदि वह आत्मसमर्पण करने के बाद नए सिरे से और उचित स्तर पर जमानत के लिए आवेदन करता है, तो इस तरह के आवेदन पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

महिपाल बनाम राजेश कुमार (2020) 2 एससीसी 118:[2019] 14 एस. सी. आर. 529-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2019] 14 एससीआर **529**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

जी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1669।

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 03.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से।2020 का जमानत आवेदन No.20894।

एच.

271

272

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 19 एस सी आर।

अनिलेंद्र पांडे, वाहिद हुसैन, नदीम हुसैन, संदीप, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

शशांक शेखर सिंह, बहर यू. बरकी, आफताब अली खान, डी. एस. मिश्रा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी , जिसके कहने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147,148,149,302,352 और 34 के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन कासगंज, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 438 दिनांकित आई. डी. 1 दर्ज की गई थी, ने इस अपील को अनुमति से और विशेष अनुमति से, आई. डी. 2 के आदेश को चुनौती देते हुए, जैसा कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामलों में पारित किया गया था, दायर किया है।2020 की जमानत आवेदन संख्या 20894।

सी.

डी.

2.1.आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों में से एक (प्रतिवादी संख्या 2) को जमानत की रियायत प्रदान की है, अनिवार्य रूप से इस विचार पर कि समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी थी।अपीलार्थी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, इंगित किया है कि कथित रूप से समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्तों में से एक को जमानत देने के आदेश को इस न्यायालय द्वारा 15.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश में अस्वीकृत कर दिया गया है, जैसा कि एसएलपी (सी. आर. एल.) से उत्पन्न 2021 की आपराधिक अपील संख्या 317 में पारित किया गया है। 2020 का सं. 6744।

ई.

3. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू इस प्रकार हैंःअपीलार्थी ने लगभग 09 बजे 10.07.2019 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थीः08 शाम को इन आरोपों के साथ कि उनके बेटे दानिश पर चाकू और धारदार हथियारों से 7 लोगों ने हमला किया था, जब वह मवेशियों को दूध देने के लिए अपने घर से आ रहे थे।यह भी आरोप लगाया गया कि पीड़ित दानिश को इस तरह के हमले के कारण गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।दो व्यक्तियों, निसार और जलील को घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया था।मृतक के व्यक्ति पर 8 पूर्व-शव परीक्षण चोटों का पता चला, जिनमें से अधिकांश या तो चीरे के घाव थे या गर्दन और छाती के आसपास चाकू के घाव थे।अभियुक्त व्यक्तियों में से एक, इमरान को 11.07.2019 पर गिरफ्तार किया गया था।

एफ.

जी.

1 'आई. पी. सी. ', संक्षेप में।

एच.

ए.

जांच अधिकारी के दावे के अनुसार, वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 सहित अन्य आरोपी व्यक्ति फरार रहे, जिसके लिए, गैर-जमानती वारंट और फिर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82 के तहत घोषणा भी जारी की गई थी।अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण कर दिया या अलग-अलग तिथियों पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 02.09.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया।

बी.

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से दायर जमानत के आवेदन को सत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और फिर, उच्च न्यायालय में उनकी ओर से दायर पहली जमानत याचिका आपराधिक विविध थी।2020 का जमानत आवेदन संख्या 4842 गैर-अभियोजन के लिए 10.02.2020 पर खारिज कर दिया गया।इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 2020 की संख्या 20894 वाली दूसरी जमानत याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2020 के विवादित आदेश द्वारा विचार और अनुमति दी गई है।इससे पहले, 2020 की संख्या 6083 वाले सह-अभियुक्तों में से एक, फहीम की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 25.02.2020 पर अनुमति दी गई थी।5. जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से दायर दूसरी जमानत याचिका का संबंध है, अग्रिम निवेदन यह था कि समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को जमानत दी गई थी और इसलिए, वह भी समानता पर उसी राहत का हकदार था।इस निवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और केवल इस कारण से कि सह-अभियुक्त को जमानत दी गई थी, उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से किए गए आवेदन को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा और कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक पहलुओं, जिसमें अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ, राज्य के वकील द्वारा विरोध और उच्च न्यायालय के विचार शामिल हैं, को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

सी.

डी.

ई.

एफ.

“आवेदक के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ सामान्य आरोप हैं।इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-अभियुक्तों, अर्थात् फैम, नासिर और कमरुद्दीन को आपराधिक विविध मामलों में इस न्यायालय की समन्वित पीठों द्वारा जमानत दी गई है।जमानत आवेदन संख्या 2020 की 6083,2020 की 11840 और 2020 की 21839 क्रमशः 25.2.2020,17.6.2020 और 26.8.2020 दिनांकित आदेशों के अनुसार।सह-अभियुक्त फैम को जमानत देने वाले आदेश की प्रति पृष्ठ संख्या में संलग्न की गई है। 60 जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में जबकि नासिर और कमरुद्दीन को जमानत देने वाले आदेशों की प्रति आज न्यायालय में पेश की गई है, जो ली गई है।

जी.

एच.

रिकॉर्ड में।यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्तों के समान है जिन्हें जमानत दी गई है, इसलिए उन्हें समानता के आधार पर जमानत दी जा सकती है।यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जैसा कि हलफनामे के पैरा-21 में कहा गया है और वह 2.9.2019 के बाद से जेल में है और मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है और इसलिए, आवेदक को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जा सकता है।इसके विपरीत, राज्य के विद्वान संक्षिप्त धारक ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध विद्वान लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

बी.

सी.

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को देखने के बाद कि समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्त व्यक्तियों को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है, इसलिए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।"

6. इस मामले में, 12.07.2021 पर, इस न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी को अपील करने की अनुमति के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी और प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी किए। राज्य की ओर से और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से भी विस्तृत जवाबी हलफनामे दायर किए गए हैं।जबकि राज्य ने अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों का समर्थन किया है, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विवादित आदेश का समर्थन करते हुए विरोध किया है।

डी.

ई.

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पहले स्थान पर तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को केवल सह-अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में पारित आदेशों के कारण जमानत दी, जिसमें सह-अभियुक्त फहीम को जमानत देने का दिनांकित आदेश भी शामिल है, लेकिन फिर, सह-अभियुक्त के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह से पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और 2021 की आपराधिक अपील संख्या 317 में दिनांकित आदेश द्वारा अपास्त करना दिया गया था।मामले के इस दृष्टिकोण में, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत देने का आधार अपास्त करना दिया गया है, विवादित आदेश खुद को बनाए नहीं रख सकता है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

7.1.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करने में पूरी तरह से चूक की है कि वर्तमान मामला अपीलार्थी के बेटे की क्रूरतापूर्ण और वीभत्स तरीके से दिन के उजाले में व्यापक हत्या का था।

एच.

275

अमीनउद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

7 लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया और शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर 8 गंभीर चोटें पहुंचाईं।ऐसे मामले में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही जमानत देने का आदेश घोर अवैधता और अनुचितता से ग्रस्त है और इसलिए, इसे अपास्त करना जाना चाहिए।

बी.

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का विधिवत समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश को अपास्त करना जाना चाहिए।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी और राज्य की ओर से की गई दलीलों का विरोध किया है और तर्क दिया है कि विवादित आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त फहीम को जमानत देने के आदेश अपास्त करना कर दिया है।

सी.

9.1.प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दिनांक 1 के उक्त आदेश में, प्रमुख पहलू यह था कि प्रत्यर्थी -अभियुक्त की ओर से कोई जवाबी-हलफनामा दायर नहीं किया गया था और फिर, सुनवाई की तारीख पर, उक्त सह-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन की मांग की, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया।इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दिनांकित 15.03.2021 आदेश प्रत्यर्थी संख्या 2 के हितों के खिलाफ काम नहीं करता है।

डी.

ई.

9.2.विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में जमानत देने के लिए एक मजबूत मामला बनाया गया था, और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।इन प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने उन कारकों पर भरोसा किया है जो प्रत्यर्थी नं। 2 02.09.2019 के बाद से हिरासत में था; कि उसकी कोई नकारात्मक पृष्ठभूमि या प्रतिकूल रिकॉर्ड नहीं था; कि विचाराधीन घटना के संबंध में उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है; और अभियोजन पक्ष की कहानी इस वैज्ञानिक कारण से स्पष्ट रूप से झूठी प्रतीत होती है कि 7 आरोपी व्यक्ति एक ही समय में 7 चाकू से मृत्यु के शरीर पर चोट नहीं पहुँचा सकते थे।

एफ.

जी.

9.3.विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपीलार्थी का बयान मुकदमे में पहले ही पूरा हो चुका था और गवाहों के साथ छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं था।इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत देने वाले विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

एच.

10. प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चश्मदीद गवाहों, अर्थात् नासिर और जलील से अभी तक पूछताछ की जानी है और आरोपों की प्रकृति और सह-अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए, विवादित आदेश को अपास्त करना जाना चाहिए।

बी.

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार करने और अभिलेख की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि 03.12.2020 दिनांकित विवादित आदेश को किसी भी दृष्टिकोण से अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

12. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संक्षेप में, वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों का प्रमुख भाग, जमानत की मांग करते समय, यह था कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत दी गई थी और वह समानता के आधार पर उसी राहत का हकदार था क्योंकि उसका मामला समान आधार पर खड़ा था।अन्य प्रस्तुतियाँ थीं कि प्रत्यर्थी नं। 2 02.09.2019 के बाद से हिरासत में था; कि उसका कोई आपराधिक इतिहास

नहीं था; और उस मुकदमे में समय लगने की संभावना थी।उच्च न्यायालय ने मामले के किसी अन्य पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया और प्रत्यर्थी संख्या 2 को केवल इस कारण से जमानत देने के लिए आगे बढ़ा कि तथाकथित समान रूप से रखे गए सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पहले ही जमानत दे दी गई थी।यह तथ्य कि सह-अभियुक्त फहीम को जमानत देने के आदेश को इस न्यायालय द्वारा अपनी कड़ी अस्वीकृति मिली, निर्विवाद बना हुआ है।

सी.

डी.

ई.

13. दिनांक 1 के निर्णय और आदेश में, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक विचारों की अनदेखी करते हुए और केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के जनादेश के संदर्भ में सह-अभियुक्त को जमानत दे दी थी।इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.03.2021 के निर्णय और आदेश में प्रासंगिक टिप्पणियों और टिप्पणियों को उपयोगी रूप से नीचे निकाला जा सकता हैः-

एफ.

"7 परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी के बेटे की क्रूर हत्या की गई है।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में आठ पूर्व-शव परीक्षण चोटों का संकेत मिलेगा।आरोप है कि यह अपराध दिन के उजाले में हुआ था।प्रथम सूचना रिपोर्ट 2019 का मामला अपराध संख्या 438 घटना के चार घंटे की अवधि के भीतर लगभग 2108 बजे दर्ज की गई थी, जो कथित तौर पर उसी दिन 1715 बजे हुई थी।जाँच पूरी होने के बाद आरोप-ए

जी.

एच.

277

अमीनउद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

न्यायालय प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के तहत सक्षम अदालत के समक्ष पत्र प्रस्तुत किया गया है।इस न्यायालय के कई फैसलों में, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देते समय कारणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।इस स्तर पर, हम विज्ञापन दे सकते हैं

महिपाल बनाम राजेश कुमार **2** में हाल के फैसले के लिए**,** जो था

उत्तर प्रदेश राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री बांसुरी स्वराज ने उन पर भरोसा किया। दो-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए, हम में से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, जे) ने कहाः

बी.

“25. केवल "अभिलेख का अवलोकन करना" और "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर" दर्ज करना एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के उद्देश्य को कम नहीं करता है।यह खुले न्याय का एक मौलिक आधार है, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, कि जिन कारकों ने न्यायाधीश के दिमाग में अस्वीकृति या जमानत देने में वजन डाला है, उन्हें पारित आदेश में दर्ज किया जाता है।खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए।न्यायधीशों का कर्तव्य है कि वे इस प्रतिबद्धता के केंद्र में तर्कपूर्ण निर्णय दें।जमानत देने के सवाल आपराधिक अभियोजन से गुजरने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में आपराधिक न्याय प्रणाली के हितों से संबंधित हैं कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए।न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे इस बात की व्याख्या करें कि वे किस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

सी.

डी.

ई.

27. जहां जमानत देने से इनकार करने या देने का आदेश निर्णय को सूचित करने वाले कारणों को प्रस्तुत नहीं करता है, वहां मन का उपयोग न करने का अनुमान है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।”

एफ.

8 वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने केवल यह टिप्पणी की है कि प्रस्तुतियों पर विचार करने और "अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश" को ध्यान में रखते हुए जमानत दी जा रही है।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण एक संवैधानिक मूल्य है जिसका उच्च न्यायालय द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, जैसा कि वास्तव में सभी न्यायालयों द्वारा किया जाता है।समान रूप से, वर्तमान जैसे मामले में, जहां हत्या का एक गंभीर अपराध हुआ है,

जी.

2 (2020) 2 एससीसी 118 ए

एच.

अभियुक्त की स्वतंत्रता को अनिवार्य रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सार्वजनिक हित के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि अपराध के आरोपी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाए।वर्तमान जैसे मामले में गंभीर अपराध से जुड़े मामले में जमानत देने को नियंत्रित करने वाले तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से पारित नहीं होता है।जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।जमानत देने में, उच्च न्यायालय प्रासंगिक विचारों पर ध्यान देने में विफल रहा है, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान में नहीं रखा गया है।

बी.

9 उपरोक्त परिस्थितियों में, हम अपील की अनुमति देते हैं और 25 फरवरी 2020 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश अपास्त करना कर देते हैं।इस आदेश के परिणामस्वरूप, दूसरा प्रत्यर्थी तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा।"

सी.

14. उपरोक्त स्थिति वर्तमान मामले पर भी समान रूप से लागू होती है।इसके अलावा, जब सह-अभियुक्त व्यक्ति को दी गई जमानत को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और सह-अभियुक्त को इस तरह की जमानत देना ही एकमात्र कारण था जिसके लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत दी गई थी, तो विवादित आदेश को अपास्त करना जा सकता है।

डी.

15. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुतियाँ कि इस न्यायालय में उक्त सह-अभियुक्त की ओर से कोई उचित विरोध नहीं था, इस न्यायालय के कथन के सार को शायद ही दूर कर सके।यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में, उच्च न्यायालय ने अपेक्षाकृत सरसरी तरीके से और मामले की मुख्य विशेषता को ध्यान में रखे बिना आगे बढ़ना शुरू किया था, जिसमें अपीलार्थी के बेटे की दिन के उजाले में 8 गंभीर चोटों के साथ नृशंस हत्या शामिल थी, जिसमें गर्दन और छाती पर और उसके आसपास घाव और चाकू के घाव शामिल थे।

ई.

एफ.

16. जहां तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के मामले का संबंध है, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि भले ही उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि सह-अभियुक्त व्यक्ति को

जमानत दी गई थी, कम से कम इतना आवश्यक था कि मामले के प्रासंगिक तथ्यों को इंगित किया गया था और साथ ही यह भी कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के मामले को समान कैसे माना गया था।निर्भर आदेश उच्च न्यायालय की ओर से प्रासंगिक विचारों पर ध्यान देने में विफलता से पीड़ित था और विवादित आदेश समान रूप से इस कमी से ग्रस्त है कि मामले की प्रासंगिक विशेषताओं पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

जी.

एच.

279

अमीनउद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

17. यह निवेदन कि प्रत्यर्थी संख्या 2 02.09.2019 के बाद से हिरासत में था या कि उसका कोई नकारात्मक पूर्ववृत्त नहीं था, विचाराधीन अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का मामला नहीं बनाता है।इस संबंध में, जांच अधिकारी की दलीलों पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है कि जबकि घटना 10.07.2019 पर हुई थी और आरोपी व्यक्तियों में से एक को 11.07.2019 पर गिरफ्तार किया गया था, अन्य आरोपी व्यक्ति फरार रहे और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 02.09.2019 पर देर से आत्मसमर्पण कर दिया।अब तक प्रत्यर्थी संख्या 2 को सौंपी गई भूमिका या अभियोजन मामले पर संदेह से संबंधित प्रश्न, वर्तमान स्तर पर यह अवलोकन करने के लिए पर्याप्त हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को विशेष रूप से हमलावरों में से एक के रूप में प्राथमिकी में नामित किया गया है। और आरोपों की प्रकृति और चोटों की प्रकृति को देखते हुए, अभियोजन पक्ष के मामले को प्रथम दृष्टया काल्पनिक या असंभव नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

18. ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए विवादित आदेश को अपास्त करना की आवश्यकता है।

डी.

19. हमने इस सवाल पर विचार किया है कि इस मामले में अंततः किस आदेश को पारित करने की आवश्यकता है।यह देखा गया है कि 15.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश में, इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त को जमानत देने वाले 15.02.2020 दिनांकित आदेश को अस्वीकार कर दिया और उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।कमोबेश यही स्थिति वर्तमान मामले में भी लागू होगी।इसमें, जमानत देने का आदेश 03.12.2020 पर पारित किया गया था और वर्तमान मामले को शुरू में 12.07.2021 पर विचार के लिए लिया गया था।भले

ही एक गवाह, यानी वर्तमान अपीलार्थी , से पहले ही पूछताछ की जा चुकी हो, लेकिन चश्मदीद गवाहों सहित अन्य गवाहों से मुकदमे में पूछताछ की जानी है।दी गई परिस्थितियों में और न्याय के हित में, हम प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए आत्मसमर्पण करने के बाद नए सिरे से और उचित स्तर पर जमानत के लिए आवेदन करने के लिए इसे खुला छोड़ना भी उचित समझते हैं।

ई.

एफ.

20. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील की अनुमति है; दिनांकित आक्षेपित आदेश 03.12.2020 को इस आवश्यकता के साथ अपास्त करना गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 तुरंत आत्मसमर्पण करेगा।न्याय के हित में, यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 आत्मसमर्पण करने के बाद नए सिरे से और उचित स्तर पर जमानत के लिए आवेदन करता है, तो इस तरह के आवेदन पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

जी.

21. न्याय के हित में, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हमने किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर फैसला नहीं सुनाया है और न ही इनमें से कोई भी

एच.

यहाँ की टिप्पणियाँ, अपने आप में, पक्षकारों के हितों के लिए प्रतिकूल होंगी और न ही विचारण न्यायालय के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव डालेंगी।

22. सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

बी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.